International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030, Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 2; Issue 3; May 2017; Page No. 250-252

बैगा जनजाति में विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन

डॉ0 सुनीता बघेल

एम0 पी0 सोशल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत।

सारांश

प्रस्तुत शोध कार्य मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के बैहर तहसील में निवास करने वाली बैगा जनजाति में जनसंचार माध्यमों के द्वारा बदलते हुए प्रतिमानों का अध्ययन करने का प्रयास है। प्रस्तुत शोध जनजातीय समाज में जनसंचार माध्यमों से उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों पर केन्द्रित है। अध्ययन का मुख्य उदेष्य बैगा जनजाति विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करना है।

मूल शब्दः बैगा जनजाति, विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं, समस्याओं को लेकर सम्बंधितों से सम्पर्क।

प्रस्तावना

आज जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक एवं राजनीति पक्षों से जुड़ी ऐसी कोई समस्या नहीं है जिस पर गैर–सरकारी संगठन काम नहीं कर रहे हों। विशेष जनजातीय समाज में गैर–सरकारी संगठन ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण, जनजागरण एवं जनजातीय विकास आदि क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं तथा इन क्षेत्रों में इनकी उपलब्धियाँ सरकारी क्षेत्र से कहीं अधिक हैं। ये संगठन जनसहयोग, जनसहभागिता, जनसम्पर्क पर अपना ध्यान केन्द्रित करते हुए जनजातियों के बीच रहकर कार्य करते हैं। इसलिए इनकी पहुँच और विश्वसनीयता आम लोगों में सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक है।

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही जनजातीय विकास का मुद्दा गहन विवाद एवं चिन्तन का विषय रहा है। 19वीं शताब्दी के अन्त तक समाज वैज्ञानिकों का मानना था कि जनजातीय विकास हेतु विशेष मानवीय प्रयत्नों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समाज का निरन्तर विकास हो रहा है तथा वह एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ रहा है। अतः जनजातियों का विकास स्वतः कालक्रमानुसार होगा। इस प्रकार उद्विकासवादी सिद्धान्त के प्रवर्तकों ने जनजातियों को 'अकेले छोड़ देने' की नीति का समर्थन किया।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद धर्मनिरपेक्ष एवं समानतावादी समाज की स्थापना के उद्देश्य से संविधान का निर्माण किया गया तथा पृथक्करण की नीति को त्याग कर आत्मसात्मीकरण की नीति को अपनाया गया। वेरियर ऐल्विन ने स्वयं अपने पूर्व विचारों को परिवर्तित करते हुए अपनी पुस्तक "फिलॉसफी फॉर नेफा" (1956) में कहा कि पृथक्कककरण की नीति छोटे–छोटे जनजातीय समुदाय पर ही लागू की जा सकती है न कि सम्पूर्ण जनजातीय समाज पर मैं अथवा कोई भी दूसरा मानवषास्त्री स्वतन्त्रता के बाद इस प्रकार की नीति को अपनाने का सुझाव नहीं दे सकता। आधुनिक युग में पृथक्करण सम्भव नहीं है और यदि सम्भव भी है तो वह वांछनीय नहीं है (त्रिपाठी, 1995: 9–12)।

आत्मसात्मीकरण की नीति के प्रमुख उद्घोषक डॉ. घुरिये ने अपनी पुस्तक "द शेड्यूल्ड ट्राइब्स" (1967) में कहा कि ''जनजातियों को आधुनिक सभ्यता के सम्पर्क में लाने की आवश्यकता है। इससे उन्हें अपनी निम्न स्थिति और दयनीय दशा का ज्ञान होगा एवं उसे सुधारने की प्रेरणा मिलेगी।'' ए. वी. ठक्कर जो ठक्कर बापा के नाम से जाने जाते हैं, ने सुझाव दिया कि जनजातियों की समस्याओं का समाधान जनजातीय क्षेत्रों के पूर्णरूपेण अथवा आंशिक रूप से देश के अन्य भागों से अलग कर देने से नहीं हो सकता। वस्तुतः जनजातियों को देश के सभ्य समुदायों का एक अंश बनाया जाना चाहिए, पर इसका उद्देश्य किसी धर्म विशेष के अनुयायियों की संख्या में वृद्धि करना नहीं होना चाहिए।

आगे चलकर एकीकरण की नीति का समर्थन करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जनजातीय लोग और जनजातीय संस्कृति बिल्कुल निकृष्ट नहीं है। कुछ अपवादों को छोड़कर जनजातीय जीवन आधुनिक जीवन की अपेक्षा अधिक अच्छा है। हम जनजातियों से अनुशासनप्रियता, सहयोग एवं सहकारिता की भावना, प्रजातांत्रिक ढंग से कार्य करने की भावना, मित्रता एवं एकता जैसे आदि अनेक गुणों को सीख सकते हैं।

विभिन्न संस्थाओं पर विश्वास की स्थिति

उत्तरदाताओं की विभिन्न संस्थाओं पर विश्वास की स्थिति को जानने का प्रयास किया गया। जिसे तालिका 1 में वर्गीकृत किया गया हैं।

तालिका 1: विभिन्न संस्थाओं पर विश्वास की स्थिति

क्र. सं.	संस्थाओं पर कितना विश्वास	जनजातीय आवृत्ति (प्रतिशत)	गैर जनजातीय आवृत्ति (प्रतिशत)
1	राष्ट्रपति	115 (63.8)	39 (65.0)
2	प्रधानमंत्री	110 (61.1)	39 (65.0)
3	केन्द्र सरकार	99 (55.0)	42 (70.0)
4	संसद	98 (54.4)	40 (66)
5	स्थानीय सरकार/पंचायत/नगरपालिका/नगर निगम	160 (88.8)	44 (73.3)
6	कोर्ट/न्यायालय	115 (63.8)	51 (85.0)
7	सिविल सर्विस/स्थानीय प्रशासन	112 (62.2)	40 (66.6)
8	राजनीतिक पार्टी	125 (69.4)	43 (71.6)

9	पुलिस	123 (68.3)	45 (75.0)
10	अखबार	112 (62.2)	38 (63.3)
11	टेलीविजन	130 (72.2)	48 (80.0)
12	रेडियो	120 (66.6)	46 (76.6)

तालिका 1 से स्पष्ट है कि 63.8 प्रतिशत जनजातीय उत्तरदाता राष्ट्रपति पर भरोसा करते हैं, 61.1 प्रतिशत प्रधानमंत्री पर, 55.0 प्रतिशत केन्द्र सरकार पर, 54.4 प्रतिशत संसद पर, 88.8 प्रतिशत स्थानीय सरकार/पंचायत/नगरपालिका/नगर निगम पर, 63.8 प्रतिशत कोर्ट/न्यायालय पर, 62.2 प्रतिशत सिविल सर्विस पर, 69. 4 प्रतिशत राजनीतिक पार्टी पर, 68.3 प्रतिशत पुलिस पर, 62.2 प्रतिशत अखबार पर, 72.2 प्रतिशत टेलीविजन एवं 66.6 प्रतिशत रेडियो पर भरोसा करते हैं जबकि 65.0 प्रतिशत गैर–जनजातीय उत्तरदाता राष्ट्रपति पर भरोसा करते हैं एवं इतने ही प्रतिशत प्रधानमंत्री पर, 70.0 प्रतिशत केन्द्र सरकार पर, 66.0 प्रतिशत संसद पर, 73.3 प्रतिशत स्थानीय सरकार/पंचायत/नगरपालिका/नगर निगम पर, 85.0 प्रतिशत कोर्ट/न्यायालय पर, 66.6 प्रतिशत सिविल सर्विस पर, 71.6 प्रतिशत राजनीतिक पार्टी पर, 75.0 प्रतिशत पुलिस पर, 63.3 प्रतिशत अखबार पर, 80.0 प्रतिशत टेलीविजन एवं 76.6 प्रतिशत रेडियो पर भरोसा करते हैं। स्पष्ट है उत्तरदाताओं का भरोसा उच्च स्तर कि संस्थाओं की अपेक्षा स्थानीय स्तर की संस्थाओं पर अधिक हैं।

समस्याओं को लेकर सम्बंधितों से सम्पर्क

अपनी समस्याओं के सन्दर्भ में विभिन्न सम्बंधितों से सम्पर्क की जानकारी को तालिका 2 में वर्गीकृत किया गया है।

तालिका 2: समस्याओं को लेकर सम्बंधितों से सम्पर्क

क्र. सं.	समस्या को लेकर संपर्क	जनजातीय (आवृत्ति (प्रतिशत)	गैर जनजातीय आवृत्ति (प्रतिशत)
1	सरकारी अधिकारियों से	137 (76.1)	46 (76.6)
2	चुने हुए अधिकारी या विधायक से	150 (83.3)	55 (91.6)
3	किसी राजनीतिक पार्टी के अधिकारी या राजनीतिक संगठन से	145 (80.5)	51 (85.0)
4	किसी एनजीओ प्रतिनिधि से	126 (70.0)	58 (96.6)
5	परम्परागत/सामुदायिक नेताओं से	166 (92.2)	58 (96.6)
6	किसी अन्य प्रभावी व्यक्ति से	150 (83.3)	58 (96.6)

तालिका 2 से स्पष्ट है कि जनजातीय 76.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सरकारी अधिकारियों सें एक या एक से अधिक बार अपनी समस्या को लेकर संपर्क किया हैं, 83.5 प्रतिशत उत्तरदाता समान रू‍प से चुने हुए अधिकारी या विधायक से, एवं किसी अन्य प्रभावी व्यक्ति से एक या एक से ज्यादा बार अपनी समस्या को लेकर संपर्क किया हैं, 80.5 प्रतिशत उत्तरदाता राजनीतिक पार्टी के अधिकारी या राजनीतिक संगठन से एक या एक से अधिक बार सम्पर्क किया है, तथा 92.2 प्रतिशत उत्तरदाता एक या एक से अधिक बार परम्परागत नेताओं से अपनी समस्या को लेकर संपर्क किया है। 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपनी समस्या को लेकर किसी एनजीओ प्रतिनिधि से संपर्क किया हैं जबकि गैर–जनजातीय 76.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपनी समस्या को लेकर संपर्क किया है, 91.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं चुने हुए अधिकारी या विधायक से संपर्क किया हैं, 85.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने किसी राजनीतिक पार्टी के अधिकारी या राजनीतिक संगठन से अपनी समस्या को लेकर संपर्क किया हैं, इसी प्रकार 96.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने समान रूप से किसी एनजीओ प्रतिनिधि परम्परागत/सामुदायिक नेताओं से, किसी अन्य प्रभावी व्यक्ति से, अपनी समस्या को लेकर संपर्क किया हैं। स्पष्ट है कि बहुसंख्यक जनजातीय उत्तरदाता परम्परागत/सामुदायिक नेताओं से संपर्क करते हैं जबकि गैर–जनजातीय उत्तरदाता एनजीओ प्रतिनिधि से, परम्परागत नेताओं से एवं अन्य प्रभावी व्यक्तियों से भी अपनी समस्या व सरकारी नीति संबंधित संपर्क करते हैं। उत्तरदाताओं का भरोसा उच्च स्तर कि संस्थाओं की अपेक्षा स्थानीय स्तर की संस्थाओं पर अधिक हैं।

निष्कर्ष

स्पष्ट है कि बहुसंख्यक जनजातीय उत्तरदाता परम्परागत/सामुदायिक नेताओं से संपर्क करते हैं जबकि गैर–जनजातीय उत्तरदाता एनजीओ प्रतिनिधि से, परम्परागत नेताओं से एवं अन्य प्रभावी व्यक्तियों से भी अपनी समस्या व सरकारी नीति संबंधित संपर्क करते हैं। उत्तरदाताओं का भरोसा उच्च स्तर कि संस्थाओं की अपेक्षा स्थानीय स्तर की संस्थाओं पर अधिक हैं।

सुझाव

जनजातीय समाज में राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु अध्ययन के आधार पर कुछ सुझाव इस प्रकार हैं–

- जनजातीय समाज को शिक्षित बनाते हुए, उन्हे योजना के कार्यक्रमों एवं प्रावधानों सम्बन्धी पूर्ण जानकारी प्रदान की जाए। इस हेतु जनजातीय ग्रामों में जन–शिक्षण के कार्यक्रम, जागरूकता/प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन तथा अन्य प्रचार के माध्यमों द्वारा योजना का व्यापक प्रचार किया जाए।
- विकास योजना के अन्तर्गत अधिकाधिक रोजगारपरक कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जाए। इस सन्दर्भ में साप्ताहिक/दैनिक बाजारों, हाटों, सड़क के किनारे, चौराहे तथा ग्राम सम्पर्क मार्ग द्वारा मुख्य मार्ग को जोड़ा जाए एवं उन्हे कोई व्यवसाय प्रारम्भ करने में सहायता की जाए इससे जनजातीय समाज के आर्थिक जीवन में सुधार भी होगा तथा उनके जीवन में आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी।
- जनजातीय क्षेत्रो में पंचायत प्रतिनिधियों को शासन द्वारा ग्राम पंचायत और ग्रामसभा की शक्तियों एवं अधिकारों से जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण षिविर लगाए जाए।
- जनजातीय ग्राम में ऐसा अभिकरण (कार्यालय) स्थापित किया जाए जिससे ग्राम वासियों को रोजमर्रा की सूचनाएँ प्राप्त हो एवं समस्याओं का निदान किया जा सके और उन्हें सूचना के अधिकारों के प्रति जाग्रत किया जाए।

- जनजातीय क्षेत्रों में टेलीविजन पर अधिक से अधिक समाचार चैनलों का प्रसारण किया जाए जिससे जनजातीय समुदाय में राजनीतिक सजगता को बढ़ावा मिले।
- गैर–सरकारी संगठनों को कार्यो के चयन तथा क्रियान्वयन में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाते हुए अधिकांश लोगों की सहमति से कार्य करना चाहिए ताकि जनजातीय समुदाय की भागीदारी बढ़ सके।
- शिक्षण संस्थायें राजनीतिक समाजीकरण में सही भूमिका निभा सके इसलिए उच्चतर शिक्षा संस्थाओं, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की पहुँच उन तक हो जिससे राजनीतिक समाजीकरण के आधारभूत अभिकरणों के रूप में सही भूमिका निभा सके।
- जन–संचार के माध्यम अत्यधिक सीधे रास्ते से राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए की संचार माध्यमों पर सरकारी नियंत्रण रखकर इनकी सहायता से राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रवृत्तियाँ को प्रोत्साहित किया जाए।

संक्षेप में जनजातीय समाज में राजीनीतिक समाजीकरण के संदर्भ में परिवार, शिक्षण संस्थाएँ, संचार के साधन, रानीतिक दल, गैर–सरकारी संगठन, सरकार की अन्य योजनाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा हैं। तथापि जनजातीय क्षेत्रों में इन साधनों का प्रभाव व जन–सहभागिता में कमी एक नकारात्मक तत्व के रूप में विद्यामान रहा है। अतः यह आवश्यक है कि तृणमूल स्तर पर जनजातीय समुदाय को उचित अवसर प्राप्त हो तभी इस समाज में राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हो सकती हैं।

संदर्भ

1. भट्ट, आशीष (2002): लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण एवं उभरता जनजातीय नेतृत्व, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर पृ. 178–186।
2. बसु, दर्गा दास (2013): भारत का संविधानः एक परिचय, लेक्सिस नेक्सिस, गुडगॉव हरियाणा पृ. 108–115।
3. द्विवेदी, राधेश्याम (2007): मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, सुविधा लॉ हाउस प्रा. लि. भोपाल।
4. गुप्ता, मंजू (2003): जनजातियों का सामाजिक, आर्थिक उत्थान, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली पृ. 1–4।
5. खेत्रपाल, बी सी (2010): मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993, खेत्रपाल पब्लिकेशन्स, इन्दौर।
6. मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजातीयॉ (संशोधन 2000), मध्यप्रदेश आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल।
7. मैकलेण्ड, जे एम (1967): मासा मीडिया एण्ड रूरल डेवलपमेंट, पेपर प्रेसेन्टेड एट द एसोसिएशन फॉर एज्यूकेशन इन जर्नलिज्म, बोल्डर पृ. 78–80।
8. मेहता, प्रकाश चन्द्र (1994): वालेन्टरी आर्गेनाइजेषन एण्ड ट्राइबल डेवलपमेंट, शिवा पब्लिकेशर्स उदयपुर, पृ. 54–55।
9. मिश्रा, राजीव (2008): वालेन्टरी सेक्टर एण्ड रूरल डेवलपमेंट, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर पृ. 50–60।
10. पालीवाल, एस एल (2000): जनजाति विकास के पंचशील सिद्धात, ट्राइब वर्ष 35 अंक 3–5 पृ. 1–9।
11. पालोत, आर सी (1987): राजस्थान की वनविहारी जनजातियॉ, नीलकमल ब्रदर्स, डूंगरपुर पृ. 1।
12. प्राथमिक जनगणना सार 2011 खण्ड़ 2 जनगणना कार्य निदेशालय, मध्यप्रदेश।
13. रामप्यारे, (1991): हरिजन युवकों राजनीतिक समाजीकरण, मितल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली पृ. 85–86।
14. सिंह, बी पी (2004): म.प्र. की गोंड़ जनजाति का सांस्कृतिक परिदृश्य, बुलेटिन सयुक्ता 41, आदिम जाति शोध संस्थान, भोपाल पृ. 6–14।
15. सिंह, बी पी (2004): म.प्र. की गोंड जनजाति का सांस्कृतिक परिदृश्य, बुलेटिन सयुक्ता 41, आदिम जाति शोध संस्थान, भोपाल पृ. 6–16।
16. सिसोदिया, यतीन्द्रसिंह एव भट्ट, आषीष (2011): मध्यप्रदेश में पंचायत राज व्यवस्थाः विविध आयाम, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल पृ. 34।
17. सिसोदिया, यतीन्द्रसिंह (2001): मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल पृ. 100–112।
18. त्रिपाठी, गोपाल (1973): भारत की जनजातियों का एकीकरण, वन्यजाति पृ. 8–13।
19. तिवारी, शिवकुमार (2000): मध्यप्रदेश की जनजातियॉ, हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल पृ. 200।
20. राकेश, भट्ट (1995): जनजातीय उद्यमिता का विकास, हिमांशु पब्लिकेशन्स, जयपुर पृ. 8–13।
21. उपाध्याय, विजय शंकर एवं गया, पाण्डेय (2002): जनजातीय विकास, मध्यप्रदेश ग्रंथ अकादमी, भोपाल पृ. 2–4।
22. उपाध्याय, विजय शंकर एवं गया, पाण्डेय (2003): ट्रायबल डेवलपमेन्ट इन इंडियाः ए क्रिटिकल अप्राजल, क्राउन पब्लिकेशन्स राची पृ. 193।
23. वैद्य, नरेश कुमार (2003): जनजातीय विकासः मिथक एवं यथार्थ, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर पृ. 7–16।